



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 16.09.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 12.30 बजे

स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति :

1.	प्रो० अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो० रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो० आर०पी० सिंह	सदस्य
5.	प्रो० गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो० (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो० श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ० (श्रीमती) संगीता पाण्डेय	सदस्य
9.	डॉ० कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो० यू०पी० सिंह	सदस्य
11.	डॉ० भैरोशंकर उपाध्याय	सदस्य
12.	डॉ० (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव	सदस्य
13.	डॉ० हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
14.	श्री एस०वी०एम० त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ० श्रीमती शोभा गौड़, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो० अशोक कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मध्य० इतिहास विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ० सच्चिदानन्द शुक्ल, प्राचार्य, संत विनोबा पी०जी० कालेज, देवरिया एवं डॉ० एन०पी०, प्राचार्य, बुद्ध पी०जी० कालेज, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो० श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य-भूगोल विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो० गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो० सुनीता मुर्मू, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की -

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट करते हुए बिन्दु संख्या 3 (20) पर प्रो० रामबरन पटेल, सदस्य कार्य परिषद् के निम्नलिखित लिखित आपत्ति को संलग्नकों सहित समाहित करने का निर्णय लिया गया—

“कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2016 के विन्दु 20 के संपुष्ट किये जाने पर असहमति/आपत्ति पत्र”

सेवा में,

दिनांक 16.09.2016

अध्यक्ष

माननीय कार्यपरिषद्

माननीय कुलपति

दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर

महोदय,

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त के बिन्दु 3 (20) पर डा० नरेन्द्र कुमार राना, भूगोल विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किये जाने पर मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सदस्य के दायित्व का निर्वहन करते आरक्षण का अवैध लाभ लेने वाले डा० राना की नियुक्ति और प्रोन्नति पर दो पृष्ठों की अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी थी। आज दिनांक 16.09.2016 की बैठक में उसी बिन्दु 3(20) की सम्पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में मैं अधोलिखित तथ्यों के आलोक में अपनी असहमति और आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ और इस बात को प्रमुखता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी इस असहमति/आपत्ति को संलग्नकों सहित कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त में यथावत समाविष्ट किया जाय।

1. दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर उ० प्र० राज्य अधिनियमित विश्वविद्यालय है अतः इस विश्वविद्यालय की सेवाएं राज्याधीन सेवाएं हैं। उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत उ०प्र० की राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के केवल उन नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाना अनुमन्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक-1)। डा० नरेन्द्र कुमार राना उ० प्र० राज्य के नहीं अपितु उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक-2)। अतः अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आरक्षण का लाभ देते हुए प्रवक्ता पद की गयी उनकी मूल नियुक्ति ही अवैध, असंवैधानिक, आरक्षण अधिनियम के विपरीत है। चूंकि डा० राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है इस लिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में डा० राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के निर्णय के प्रति मैं अपनी गहरी आपत्ति और असहमति अंकित करता हूँ और प्रकरण के पुनर्विचार हेतु अनुरोध करता हूँ।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में योजित याचिका सं० SLP No. 1272/2011, 9Feb. 2011, ममता मोहन्थी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमन्य नहीं है। डा० नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है, इसलिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। डा० राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत मान लेने के प्रति मैं असहमति और आपत्ति प्रकट करता हूँ, और पुनर्विचार का आग्रह करता हूँ।

3. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो विज्ञापनों में साफ अंकित है कि आरक्षण के मामले में उ0प्र0 राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन होगा (संलग्नक 3 एवं 4)। विश्वविद्यालयों, लोक सेवा आयोग, उ0शि0 से0 चयन बोर्ड सभी के द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का ही अनुपालन किया जाता है। डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन सं0 4/2000, दिनांक 2.08.2000 में किसी त्रुटिवश भले ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माने जाने का उल्लेख न हुआ है, तथापि उ0प्र0 राज्य आरक्षण अधिनियम 1994 यह छूट नहीं देता है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दे दिया जाय। जानबूझ कर नियोक्ताओं ने डा0 राना को उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला, और उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक अर्ह अभ्यर्थियों को दरकिनार कर डा0 राना की नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर की गयी है। अतः मूल नियुक्ति के सर्वथा गलत, असंवैधानिक, असंगत, अवैध और आरक्षण अधिनियमों की अवहेलना करते हुए की गयी है। अतः इस प्रकरण के निस्तारित होने तक विन्दु संख्या 20 को सम्पुष्ट करने के प्रति मैं कड़ी असहमति और आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रकरण के पुनर्विचार हेतु निवेदन करता हूँ।
4. डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना (संलग्नक 5, 6 व 7), नियुक्ति पत्र (संलग्नक 8), आवेदन पत्र (संलग्नक 9), जाति प्रमाण पत्र (संलग्नक 2- छः साल पुराना होने से अमान्य), विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विज्ञापन (संलग्नक 3 एवं 4) सभी साक्ष्यों से सम्यक रूप से पुष्ट होता है कि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। ये सभी साक्ष्य मूल रूप में डा0 राना की नियुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। मूल नियुक्ति के अवैध होने की दशा में कार्य परिषद के एक सदस्य के रूप में बिन्दु 3 (20) की पुष्टि पर आपत्ति करते हुए प्रकरण के निस्तारित होने तक प्रोन्नति का लाभ न देने का अनुरोध करता हूँ।
5. डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण माननीय कुलपति और महामहिम कुलाधिपति के विचाराधीन है (संलग्नक 10)। कार्यपरिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मैंने भी माननीय कुलपति, अध्यक्ष, कार्यपरिषद से शिकायत की है कि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति व प्रोन्नति की जांच करायी जाय (संलग्नक 11)। मैंने अनुरोध भी दिनांक 15.09.2016 को अनुरोध किया है कि मेरे द्वारा की गयी शिकायत को कार्यपरिषद की बैठक में रख कर यथोचित निर्णय लिया जाय। अतः जब तक डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिये डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाल प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी असमति एवं गहन विरोध अंकित करवा रहा हूँ।
6. डा0 राना के पक्ष में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि डा0 राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा0 राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

संलग्नक— यथोक्त, कुल 11 पन्ने।

भवदीय
(प्रो0 राम बरन पटेल)

	<p>सदस्य कार्य परिषद् डी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।</p>
2.	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया तथा बिन्दु संख्या 3 (20) पर प्रो० रामबरन पटेल, सदस्य-कार्य परिषद् ने निम्नलिखित लिखित आपत्ति दर्ज करायी-</p> <p>कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2016 की कार्यसूची के बिन्दु 3 के अंतर्गत भूगोल विषय में डा० नरेन्द्र कुमार को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति किये जाने पर अधोखित तथ्यों के आलोक में मेरी असहमति टिप्पणी दर्ज करें।</p> <ol style="list-style-type: none"> राज्य विश्वविद्यालय की सेवाओं में अन्य राज्यों के नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ अनुमन्य नहीं है। डा० नरेन्द्र कुमार राना उत्तर प्रदेश के निवासी न होकर उड़ीसा राज्य के निवासी हैं, तथापि इस राज्य विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ लेते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में नियुक्ति पायी है, जो उ०प्र० लोक सेवा अधिनियम 1994 का घोर उल्लंघन और सर्वथा विधिविरुद्ध है। अवैध नियुक्ति के विरुद्ध शिकायतकर्ता-पूर्वांचल पिछड़ा वर्ग जागरण मंच, गोरखपुर ने पुष्ट साक्ष्यों/प्रमाणों को संलग्न करते हुए कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में मुझे भी शिकायत की प्रतिलिपि प्रेषित की है। प्रमाण पत्रों के आधार पर चूँकि डा० नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। अतः अवैध नियुक्ति प्रकारण के निस्तारण के बिना डा० राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है। डा० नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण महामहिम कुलाधिपति द्वारा संज्ञान में लिया जा चुका है। राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या: ई० 2922, 3014/7-जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 के द्वारा अवैध नियुक्ति के बारे में प्रस्तरवार आख्या 15 दिनों की भीतर वि०वि० प्रशासन से माँगी गयी है। इस प्रकार डा० नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन/लम्बित होने तथा प्रकरण के निस्तारण के बिना ही डा० राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना तर्कसंगत और उचित नहीं है। प्रोन्नति का लाभ दिया जाना इसलिये भी विधिक नहीं है, क्योंकि डा० नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पत्रांक: ई० 2922, 3014/7-जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 द्वारा महामहिम कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रस्तरवार आख्या 15 दिनों की भीतर माँगी है। इस प्रकार डा० नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण लम्बित/विचाराधीन होने तथा प्रकरण के निस्तारण के बिना ही डा० नरेन्द्र कुमार राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना तर्कसंगत, नियम संगत और उचित नहीं है। प्रोन्नत का लाभ दिया जाना विशेष रूप से इसलिये भी विधिक नहीं है, क्योंकि डा० राना की अवैध नियुक्ति के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महामहिम कुलाधिपति द्वारा पत्रांक: ई० 2922, 3014/7-जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रस्तरवार आख्या माँगी गयी है। अतः प्रकरण के निस्तारण तक डा० राना के प्रोन्नति को स्थगित रखना चाहिये था। ऐसा न किया जाना नियमानुसार नहीं है। डा० राना के पक्ष में यह तर्क देना कि डा० राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है। परन्तु ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा० राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है। <p>पुनश्च, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SLP No. 1272/2011 ममता मोहन्यी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त</p>

	<p>व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार इस कार्यपरिषद की के कार्यवृत्त में मेरी असहमति का अंकन किया जाय।</p> <p>(प्रो० राम बरन पटेल) सदस्य कार्य परिषद दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। दिनांक 17.07.2016</p> <p>बिन्दु संख्या -9 जो डॉ० परमहंस पाठक, उपाचार्य- प्राणि विज्ञान विभाग के प्रकरण पर श्री एस०वी०एम० त्रिपाठी के संयोजकत्व में गठित समिति की आख्या पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि डॉ० परमहंस पाठक की प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 23.08.2005 से पाँच वर्ष की सेवा (कैरियर एडवान्समेण्ट योजना सम्बन्धी परिनियम (यथा संशोधित) के अनुसार) जिस तिथि को पूर्ण हो रही हो तथा तत्समय प्रभावी परिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 30.06.2010 के उपरान्त प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पी०बी०ए०एस० आधारित ए०पी०आई० आख्या पत्र की जाँच के उपरान्त प्रोन्नति की कार्यवाही की जाय।</p>
3.	<p>कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
4.	<p>कार्य परिषद ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 8080/सा०प्र०/2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा डॉ० श्री अवधेश सिंह, पशुपालन विभाग, बी०आर०डी० पी०जी० कालेज, देवरिया को दिनांक 25.07.2016 से तीन वर्ष या कोई अन्य आदेश होने तक अधिष्ठाता-कृषि संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
5.	<p>कार्य परिषद ने कार्यालय आदेश संख्या 8094/सा०प्र०/2016 दिनांक 01.08.2016 द्वारा डॉ० दिनेश यादव, आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ० उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहयुक्त आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ० मनीष मिश्र, सहयुक्त आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं डॉ० दिव्या रानी सिंह, सहयुक्त आचार्य, गृह विभाग विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के उपबन्ध 01, 02 एवं 05 के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
6.	<p>कार्य परिषद ने कार्यालय ज्ञाप सं० 8096/सा०प्र०/2016 दिनांक 01.08.2016 द्वारा प्रो० सतीश चन्द्र पाण्डेय, अचार्य- रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को नियन्ता पद पर अगले आदेश तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले जो, तक के लिए अवधि विस्तार सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
7.	<p>कार्य परिषद ने कार्यालय आदेश संख्या 5688/सा०प्र०/2016 दिनांक 05.03.2016 द्वारा डॉ० मालविका श्रीवास्तव, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की अभिरक्षिका पद पर दिनांक 05.01.2016 से एक वर्ष या अन्य</p>

	<p>आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
8.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 5466/सा0प्र0/2016 दिनांक 06.01.2016 द्वारा डॉ० छायारानी, सहयुक्त आचार्य, संस्कृत विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास का कार्यकाल दिनांक 31.11.2015 से एक वर्ष के लिए विस्तारित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
9.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9035/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा डॉ० जितेन्द्र मिश्र, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक अभिरक्षक, स्वामी विवेकानन्द छात्रावास के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
10.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9034/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रो० रविशंकर सिंह, भौतिकी विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास एवं प्रो० सुषमा पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास का अभिरक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
11.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9068/सा0प्र0/2016 दिनांक 23.08.2016 द्वारा डॉ० राकेश तिवारी, भौतिकी विभाग एवं डॉ० अनुराग द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग को नाथ चन्द्रावत छात्रावास छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
12.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9073/सा0प्र0/2016 दिनांक 24.08.2016 द्वारा डॉ० चन्द्रशेखर, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग एवं डॉ० अहमद नसीम, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग को स्वामी विवेकानन्द छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
13.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 8099/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.08.2016 द्वारा डॉ० सरिता पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को अलकनन्दा महिला छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>

14.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9100/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.08.2016 द्वारा डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग एवं डॉ0 मनोज तिवारी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
15.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9105/सा0प्र0/2016 दिनांक 30.08.2016 द्वारा डॉ0 राजेश कुमार सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को संत कबीर छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
16.	<p>कार्य परिषद् ने श्री प्रभात कुमार राय, प्रबन्धक, राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सल्लहपुर, देवरिया का पत्र दिनांक 27.07.2016, जो स्व0 राम गुलाम राय नाम से स्नातक कला संकाय एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रभात कुमार राय, प्रबन्धक, राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सल्लहपुर, देवरिया का पत्र दिनांक 27.07.2016, जो स्व0 राम गुलाम राय नाम से स्नातक कला संकाय एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण पदक हेतु निर्धारित शुल्क रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) प्रति स्वर्ण पदक जमा करा लिया जाय।</p>
17.	<p>कार्य परिषद् ने प्रो0 गोपीनाथ, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 11.08.2016, जो स्व0 प्रो0 ए0पी0 बैजल, पूर्व अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय नाम से एम0काम0 विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्मृति स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
18.	<p>कार्य परिषद् ने अधिसूचना सं0 9142/सा0प्र0/2016 दिनांक 03.09.2016 जो छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु प्रो0 संजय बैजल, आचार्य, वाणिज्य विभाग को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p>
19.	<p>श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई-7636/7-जी0एस0/2016-एम दिनांक 02.09.2016 जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, में पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाये जाने सम्बन्धी है, से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई। सभी सम्मानित सदस्यों ने</p>

विश्वविद्यालय परिसर में पं० दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति के लिए मा० कुलाधिपति को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं प्रतिमा की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(I)- कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्य श्री एस०वी०एम० त्रिपाठी ने दिनांक 18.05.2016 के कार्य परिषद् के निर्णय के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल करने का अनुरोध किया—

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की दिनांक 16.09.2016 की बैठक में कार्य सूची में बिन्दु संख्या 19 पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निवेदन—

1. स्व० पं० दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के लिए मा० कुलाधिपति द्वारा दी गयी सहमति का मैं हृदय से समर्थन तथा स्वागत करता हूँ। स्व० पं० उपाध्याय की उच्चतम स्तर की उपलब्धियों, कीर्ति तथा भारत के नेतृत्व श्रृंखला में अग्रणी स्थान है। दूसरा कारण यह भी है कि पूर्व में दी गयी संस्तुति कि "विश्वविद्यालय परिसर में किसी महानुभाव की मूर्ति लगाना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है" सर्वथा त्रुटिपूर्ण तथा अमान्य है।
2. इस संस्तुति को अस्वीकार करते हुए एक महानुभाव की प्रतिमा लग चुकी तथा एक और स्थापित हो रही है। मा० कुलाधिपति ने स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापना को संज्ञान में लेते हुए स्व० श्री सुरतनारायण मणि त्रिपाठी की परिसर में प्रतिमा स्थापित करने के शासन के निर्णय के संदर्भ में यह माना है कि विश्वविद्यालय उक्त संस्तुति को पुनर्संशोधित कर चुकी है। अतः उन्होंने स्व० श्री त्रिपाठी के प्रकरण में पनुः विचार करने का निर्देश दिया था।
3. डॉ० यू०पी० सिंह ने पूर्व चर्चा में कहा था कि वह स्व० श्री त्रिपाठी का बहुत सम्मान करते हैं, परन्तु उपरोक्त संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मूर्ति स्थापना का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया जो, उनके अनुसार, कार्य परिषद् के पूर्व निर्णय को बाद में परिषद् द्वारा रद्द करने की अनुमति नहीं देता है।
4. न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह ने कहा था कि स्व० श्री त्रिपाठी द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रचुर योगदान के बारे में वह अवगत हैं, परन्तु उपरोक्त संस्तुति तथा इस प्रकरण पर पूर्व में कार्य परिषद् के निर्णय के आलोक में वह इसे समाप्त करने के पक्ष में हैं।
5. स्व० श्री त्रिपाठी की प्रतिमा स्थापना के प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर कभी चर्चा नहीं हुई, केवल उपरोक्त सामान्य संस्तुति का हवाला देकर शासन द्वारा आदेशित पहल को कार्यान्वित करने से रोका गया है। यह स्पष्ट परिलक्षित है कि जानबूझ कर यह संस्तुति केवल स्वर्गीय श्री सुरत नारायण मणि त्रिपाठी की प्रतिमा न लगे, इसके लिये प्रयोग की जा रही है, और किसी महानुभाव के लिये नहीं।
6. पूरी उत्तरदायित्व की भावना से कहता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी एक व्यक्ति ने इतना अथक प्रयास नहीं किया, जितना स्वर्गीय श्री सुरत नारायण मणि त्रिपाठी ने। इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि वह मेरे पिता हैं, परन्तु इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं उन्हें निरन्तर इसके लिए संघर्ष करते देखा है।
7. मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। उनसे अनुरोध है कि यह संक्षिप्त विवरण कार्यरत में साथ संलग्न करने की अनुमति दें।

एस०वी०एम० त्रिपाठी, सदस्य कार्य परिषद्



(II)-	प्रो० गोपाल प्रसाद, सदस्य-कार्य परिषद् ने इसका समर्थन किया।
(III)-	<p>प्रो० यू०पी० सिंह, सदस्य- कार्य परिषद् ने कहा कि अब मूर्ति प्रकरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। लेकिन, क्योंकि श्री त्रिपाठी ने अपनी टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल किये जाने का अनुरोध किया है, अतः उन्होंने मूर्ति प्रकरण के सन्दर्भ में अपनी निम्नलिखित टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल करने का अनुरोध किया-</p> <p>दिनांक 16.09.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की बैठक में बिन्दु संख्या 19 पर संलग्न की जाने वाली मेरी टिप्पणी-</p> <p>दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की दिनांक 16.09.2016 की कार्य परिषद् की बैठक में बिन्दु संख्या- 19 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिसर में प्रतिमा स्थापित किये जाने के लिए महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी देते समय कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्य माननीय श्रीयुत श्री विलास मणि त्रिपाठी जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना में श्रद्धेय स्व० पंडित सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापना की बात पुनः रखी। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी के अद्वितीय एवं अप्रतिम योगदान का वर्णन करते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया कि पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी द्वारा तत्कालीन महाराणा प्रताप डिग्री कालेज को विश्वविद्यालय में विलीन कर उसकी सारी सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय में प्रदान किये जाने के फलस्वरूप ही गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। जो भूखण्ड महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के सचिव (ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी) द्वारा प्रदान किया गया है उसमें विश्वविद्यालय के चार शैक्षिक विभाग (वाणिज्य, व्यवसाय प्रबन्धन, शिक्षाशास्त्र एवं प्रौढ़ शिक्षा) चलते हैं तथा उसी भूखण्ड पर विश्वविद्यालय का एक महिला छात्रवास भी स्थापित है।</p> <p>यद्यपि माननीय कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति स्थापना के अतिरिक्त किसी अन्य महानुभाव की प्रतिमा न लगाने के बारे में कार्यपरिषद् का अन्तिम निर्णय हो चुका है, फिर भी यदि भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी अन्य व्यक्ति की मूर्ति लगाने पर विचार होता है तो ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की मूर्ति लगाने को प्राथमिकता दी जाय।</p> <p>मेरी उपर्युक्त टिप्पणी दिनांक 18.09.16 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की बैठक के समय माननीय कुलपति जी द्वारा प्रदत्त अनुमति के बाद ही भेजी जा रही है।</p> <p>प्रो० यू०पी० सिंह सदस्य-कार्य परिषद् दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर</p>
20.	<p>कार्य परिषद् ने दिनांक : 25.09.2016 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में विचार किया।</p> <p>दिनांक 25.09.2016 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में कुलपति जी ने विस्तृत जानकारी दी, जिससे सदन अवगत होते हुए संतोष व्यक्त किया।</p>
21.	कार्य परिषद् ने यू०जी०सी० विनियम जून-2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2016 को विधि विभाग में सहयुक्त आचार्य से आचार्य पद


	<p>पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून-2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2016 को विधि विभाग में सहयुक्त आचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों विचार करते हेतु निर्णय लिया एवं कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 जितेन्द्र मिश्र, डॉ0 चन्द्रशेखर एवं डॉ0 अहमद नसीम, सहयुक्त आचार्य, (चरण-4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/- विधि विभाग को आचार्य, (चरण-5) पे बैण्ड 37400-67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/- में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।</p>
22.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया-
1.	<p>कार्य परिषद् ने अपनी स्थगित बैठक दिनांक 12.09.2016 की कार्यसूची, जो विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर 89 दिनों हेतु कर्मचारियों के नियुक्ति पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षणेत्तर पदों पर 89 दिन पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का आगे कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष 2001 के पश्चात् कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्जड/नियत वेतन/संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों का उक्त की भाँति विस्तार नहीं किया जायेगा तथा 30.09.2016 तक का भुगतान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा कार्य प्रमाणित होने के पश्चात् किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी विभाग को आवश्यकता है तो चतुर्थ श्रेणी में आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदनोपरान्त कार्य लिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारी उत्तरदायी होंगे।</p> <p>यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षणेत्तर तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब भेजकर अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2001 के पूर्व से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी व्यक्तियों के समायोजन शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार की जाये।</p>
2.	<p>कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.03.2015 के बिन्दु संख्या 18 एवं 19 पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता से मुक्त करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों का क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता अनिवार्य है। क्रीड़ा शुल्क का निर्धारण वित्त समिति द्वारा कर लिया जाय तथा अध्यक्ष- क्रीड़ा परिषद् को निर्देश दिया जाय कि सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर उन्हें पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया जाय।</p>
3.	<p>कार्य परिषद् ने शासन स्तर पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में हुई सुनवाई के पश्चात् शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में दिनांक 13.08.2016 को विश्वविद्यालय स्तर पर गठित सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया -</p>

	<p>1. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 1 से 21 तक के महाविद्यालयों के सम्बन्ध में सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p> <p>2. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 22 से 26 तक के महाविद्यालयों द्वारा कार्यरत शिक्षकों का बैंक से वेतन भुगतान न करने के कारण उन पर एक लाख रूपये अर्थ दण्ड एवं एक लाख रूपये अमानत (Security) धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करने का निर्णय लिया। सम्बन्धित महाविद्यालय जब इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने कार्यरत शिक्षकों का वेतन बैंक के माध्यम से देना प्रारम्भ कर दिया है तो उनकी अमानत (Security) की धनराशि वापस कर दी जायेगी।</p> <p>3. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 27 एवं 28 के महाविद्यालयों को प्राप्त विधिक अभिमत के आधार पर शैक्षिक सत्र 2016-17 में सम्बद्धता न प्रदान करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>4. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 29 एवं 30 के महाविद्यालयों की सम्बद्धता चूँकि शासन ने ही समाप्त कर दिया है, इसलिए इन्हें सम्बद्धता प्रदान न की जाय।</p>
4.	<p>कार्य परिषद् ने स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मठलार, देवरिया के संचालन हेतु सम्बद्धता के निस्तारण के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या वी0आई0पी0 78/सत्तर-6-2016-63/2016 दिनांक 08 अगस्त, 2016 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मठलार, देवरिया के संचालन हेतु सम्बद्धता के निस्तारण के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या वी0आई0पी0 78/सत्तर-6-2016-63/2016 दिनांक 08 अगस्त, 2016 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान कर दिया जाय और प्रवेश की भी अनुमति प्रदान की जाय।</p>
5.	<p>कार्य परिषद् ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0 94/सत्तर-6-2016-76/2016 दिनांक 24 अगस्त, 2016, जो डॉ० राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, करौंदी, भलुवनी, देवरिया की सम्बद्धता/विस्तारण के सम्बन्ध में है, पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0 94/सत्तर-6-2016-76/2016 दिनांक 24 अगस्त, 2016, जो डॉ० राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, करौंदी, भलुवनी, देवरिया की सम्बद्धता/विस्तारण के सम्बन्ध में विचार करते हुए निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर शासन में सुनवाई के बाद निर्देश दिया गया है कि छात्र हित में सन्दर्भित महाविद्यालय को सम्बद्धता देने पर विचार क्रिया जाय। कार्य परिषद् द्वारा इस प्रकार के प्रकरण में पूर्व में किसी भी महाविद्यालय को जिन्होंने समय पर सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, सम्बद्धता प्रदान नहीं किया गया है, अतः कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से इस महाविद्यालय को भी सम्बद्धता प्रदान न किये जाने का निर्णय लिया।</p>
6.	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9034/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा रविशंकर सिंह, आचार्य- भौतिकी विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास का अभिरक्षक एवं प्रो० सुषमा पाण्डेय, आचार्य- शिक्षाशास्त्र विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास का अभिरक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से</p>

	अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
7.	कार्य परिषद् ने वर्ष 2008-2015 तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशित छात्रों से लिये गये पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क एवं चुनाव शुल्क वापस करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वर्ष 2008-2015 तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशित छात्रों से लिये गये पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क एवं चुनाव शुल्क वापस करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
8.	विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.06.2016 की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.06.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
9.	कार्य परिषद् ने सूचना सं० 9168/सा०प्र०/2016 दिनांक 08.09.2016 जो प्रो० हिमांशु चतुर्वेदी, आचार्य- मध्य० इतिहास विभाग को अध्यक्ष- क्रीड़ा परिषद् के पद पर एक वर्ष अथवा अगले आदेश अथवा सेवानिवृत्ति तिथि, जो भी पहले हो, नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
10.	मा० कुलपति जी ने प्रो० हर्ष कुमार सिन्हा, आचार्य, रक्षा एवं स्ट्राजतिक अध्ययन विभाग को मानद ग्रन्थालयी के पद पर एक वर्ष अथवा अगले आदेश अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत कराया, जिसे कार्य परिषद् ने स्वीकार किया।
11.	माननीय कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् को अवगत कराये जाने पर कि विश्वविद्यालय अतिथि गृह की आवश्यक मरम्मत आदि कराकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जलपान, भोजन, भवन की साफ-सफाई की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की तथा इसके लिए कुलपति जी बधाई दी।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव
सचिव



कुलपति
अध्यक्ष

R. S. 1000/16
16.09.16

(1)

1.

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के विन्दु 20 के संपुष्ट किये जाने पर असहमति/आपत्ति पत्र
सेवा में, दिनांक 16.09.2016

अध्यक्ष
माननीय कार्यपरिषद
माननीय कुलपति/कुलसचिव
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

महोदय

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त के विन्दु 20 पर डा0 नरेन्द्र कुमार राना, भूगोल विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किये जाने पर मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सदस्य के दायित्व का निर्वहन करते आरक्षण का अवैध लाभ लेने वाले डा0 राना की नियुक्ति और प्रोन्नति पर दो पृष्ठों की अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी थी। आज दिनांक 16.09.2016 की बैठक में उसी विन्दु (20) की सम्पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में मैं अधोलिखित तथ्यों के आलोक में अपनी असहमति और आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ। और इस बात को प्रमुखता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी इस असहमति/आपत्ति को संलग्नकों सहित कार्यपरिषद के कार्यवृत्त में यथावत समाविष्ट किया जाय।

1. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर उ0 प्र0 राज्य अधिनियमित विश्वविद्यालय है अतः इस विश्वविद्यालय की सेवाएं राज्याधीन सेवाएं हैं। उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत उ0प्र0 की राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के केवल उन नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाना अनुमत्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक-1)। डा0 नरेन्द्र कुमार राना उ0 प्र0 राज्य के नहीं अपितु उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक-2)। अतः अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आरक्षण का लाभ देते हुए प्रवक्ता पद की गयी उनकी मूल नियुक्ति ही अवैध, असंवैधानिक, आरक्षण अधिनियम के विपरीत है। चूंकि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है इस लिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के निर्णय के प्रति मैं अपनी गहरी आपत्ति और असहमति अंकित कराता हूँ और प्रकरण के पुनर्विचार हेतु अनुरोध करता हूँ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में योजित याचिका सं0 SLP No. 1272/2011, 9Feb. 2011, ममता मोहनथी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमत्य नहीं है। डा0 नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है, इसलिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ अनुमत्य नहीं है। डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत मान लेने के प्रति मैं असहमति और आपत्ति प्रकट करता हूँ और पुनर्विचार का आग्रह करता हूँ।

3. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो विज्ञापनों में साफ अंकित है कि आरक्षण के मामले में उ0प्र0 राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन होगा (संलग्नक-3 व 4)। विश्वविद्यालयों, लोक सेवा आयोग, उ0शि0 से0 चयन बोर्ड सभी के द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का ही अनुपालन किया जाता है। डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन सं0 4/2000, दिनांक 2.08.2000 में किसी त्रुटिवश भले ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माने जाने का उल्लेख न हुआ है, तथापि उ0प्र0 राज्य आरक्षण अधिनियम 1994 यह छूट नहीं देता है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दे दिया जाय। जानबूझ कर नियुक्ताओं ने डा0 राना को उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला, और उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक अर्ह अभ्यर्थियों को दरकिनार कर डा0 राना की नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर की गयी है। अतः मूल नियुक्ति के सर्वथा गलत, असंवैधानिक, असंगत, अवैध और

16/9/16

प्रभाषी अमेर/शुभम/तकाल
कु.मि.पान.सु.शु.आ.मी.दु.दु.)


आरक्षण अधिनियमों की अवहेलना करते हुए की गयी है। अतः इस प्रकरण के निस्तारित होने तक विन्दु संख्या 20 को सम्पुष्ट करने के प्रति मैं कड़ी असहमति और आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रकरण के पुनर्विचार हेतु निवेदन करता हूँ।

4. डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना (संलग्नक 5,6व7), नियुक्ति पत्र (संलग्नक 8), आवेदन पत्र (संलग्नक 9), जाति प्रमाण पत्र (संलग्नक 2-छः साल पुराना होने से अमान्य), विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विज्ञापन (संलग्नक 3 व 4) सभी साक्ष्यों से सम्यक रूप से पुष्ट होता है कि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। ये सभी साक्ष्य मूल रूप में डा0 राना की नियुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। मूल नियुक्ति के अवैध होने की दशा में कार्य परिषद के एक सदस्य के रूप में विन्दु 20 की पुष्टि पर आपत्ति करते हुए प्रकरण के निस्तारित होने तक प्रोन्नति का लाभ न देने का अनुरोध करता हूँ।

5. डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण माननीय कुलपति और महामहिम कुलाधिपति के विचाराधीन है (संलग्नक 10)। कार्यपरिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मैंने भी माननीय कुलपति, अध्यक्ष, कार्यपरिषद से शिकायत की है कि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति व प्रोन्नति की जांच करायी जाय (संलग्नक 11)। मैंने अनुरोध भी दिनांक 15.09.2016 को अनुरोध किया है कि मेरे द्वारा की गयी शिकायत को कार्यपरिषद की बैठक में रख कर यथोचित निर्णय लिया जाय। अतः जब तक डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिये डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाल प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी असमति एवं गहन विरोध अंकित करवा रहा हूँ।

6. डा0 राना के पक्ष में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि डा0 राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा0 राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

संलग्नक—यथोक्त, कुल 11 पन्ने।

भवदीय

 15.9.16
 (प्रो0 राम बरन पटेल)
 सदस्य कार्य परिषद
 दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
 गोरखपुर।